

## ::राजस्थान—सरकार::

कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, डॉ० सम्पूर्णानन्द आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं  
संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर।

क्रमांकः—एफ. 2 / स्था. / आमवि / जो० / २०२० / १९६५

दिनांक: 08.12.2020

## ::कार्यालय आदेश::

चयन समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित चिकित्सक को उनके नाम के समुख अंकित विशिष्टता में सीनियर रेजीडेन्ट के पद पर उपरिथित प्रस्तुत करने की तिथि से अधिकतम छः माह की अवधि अथवा अन्य आदेश जारी होने तक के लिए पूर्णतया अस्थाई आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	नाम	विशिष्टता	जन्म तिथि
1	डॉ गायत्री चितारा पुत्री श्री टिकम चंद चितारा	निश्चेतन विभाग	29.04.1989

- सीनियर रेजीडेन्ट के पद पर चयन शुरूआत में छः माह के लिए किया गया है, तत्पश्चात् विभागाध्यक्ष द्वारा सेवा संतोषजनक प्राप्त होने पर पुनः छः माह के लिए अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अभिवृद्धि की जा सकती है। अद्योहस्ताक्षर द्वारा सेवा अभिवृद्धि आदेश के अभाव में संबंधित सीनियर रेजीडेन्ट चिकित्सक की सेवाएं स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- उपरोक्त सीनियर रेजीडेन्ट को कार्यग्रहण करने की दिनांक से स्टाइफण्ड रु. 61000/- एवं नियमानुसार मंहगाई भत्ता देय होगा इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगे।
- ये नियुक्ति उक्त चिकित्सक के दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र सत्यापन एवं साक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के अध्यधीन होगी।
- उपरिथित के समय शैक्षणिक योग्यता के मूल दस्तावेज, राजस्थान मेडिकल काउन्सिल द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, प्रस्तुत करने होंगे। राजकीय सेवारत अभ्यार्थियों को कार्यग्रहण से पूर्व नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं कार्यमुक्ति आदेश प्रस्तुत करना होगा। विगत में कार्यरत रहने की संस्था से त्याग पत्र स्वीकारोवित पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- चयनित अभ्यार्थियों को होस्टल सुविधा देय नहीं होगी।
- चयनित अभ्यार्थी यदि हड्डताल अथवा अन्य अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा तो उसकी सेवायें बिना किसी नोटिस के तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।
- संबंधित आचार्य एवं विभागाध्यक्ष द्वारा आवंटित कार्य के साथ—साथ आपाताकालीन सेवायें भी देनी होंगी।
- इन्हें नियमानुसार इस छः माह की अवधि के दौरान 07 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। सीनियर रेजीडेन्ट के पद पर कार्य पूर्णकालीन रेजीडेन्ट के रूप में करना होगा। इसके अतिरिक्त अवकाश लेने पर लिए गए अवकाश की अवधि का कोई स्टाइफण्ड एवं अनुभव प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।
- इन चिकित्सकों को आदेश जारी होने की तिथि से 7 दिवस में अपनी उपरिथित अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करनी होगी। कार्यग्रहण काल में अभिवृद्धि की प्रार्थना स्वीकार्य नहीं होगी। उक्त नियुक्ति समय समय पर अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अध्यधीन होगी।
- सीनियर रेजीडेन्ट को स्नातक विद्यार्थियों को शिक्षण प्रशिक्षण कार्य में भी भाग लेना होगा,
- महिला अभ्यार्थियों को सीनियर रेजीडेन्सी अवधि में प्रसूति के लिए राज्य सरकार के नियमानुसार अधिकतम एक बार प्रसूति अवकाश देय होगा।
- न्यूनतम एक माह की अवधि का नोटिस देकर सीनियर रेजीडेन्ट के पद से त्याग पत्र दिया जा सकेगा। एक माह का नोटिस नहीं देने की स्थिति में त्याग पत्र स्वीकृति से पूर्व एक माह का स्टाइफण्ड राजकोष में जमा कराना अनिवार्य होगा।
- उक्त चिकित्सक प्रथमतः अपनी उपरिथित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, डॉ. एस. एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर को प्रस्तुत करेंगे।

(डॉ गुलजारी लाल मीना)  
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

क्रमांकः—एफ. 2 / स्था. / आमवि / जो० / २०२० / १९६००-६०६

दिनांक: 08.12.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज० जयपुर।
- अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह/मथुरादास माथुर चिकित्सालय/उम्मेद चिकित्सालय, जोधपुर।
- आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, निश्चेतन विभाग।
- नोडल अधिकारी, कॉलेज वेबसाईट।
- लेखाशाखा, डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
- निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली/कॉलेज नोटिस बोर्ड।

(डॉ गुलजारी लाल मीना)  
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक